न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

उनवान- राजकुमार बनाम रामचन्द्र

किस्म मुकदमा- आ0 पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए. 1955 मु.नं0 31 वर्ष 2024

| दिनांक | आज्ञा पत्र |
|---|---|
| 19.02.2025 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 7 बावजूद रजिस्टर्ड तामील हाजिर नहीं आए इसलिए इनके विरूद्व कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाती है। बहस प्रार्थना-पत्र टी0आई0 सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 212 रा0काश्त0अधिनियम में अंकित प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया।<br>हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 4 मंशा पुत्र नंदा के वंशज एंव उत्तराधिकारीगण है। भूमियां ख0नं0 771, 772, 774 कुल किता 3 कुल रकबा 1.77 है0 एंव ख0नं0 768, 769, 770, 773 कुल किता 4 कुल रकबा 1.91 है0 ग्राम रामसिंहपुरा प0स0शिश्यू, तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। मद सं0 3 में वर्णित भूमियों के संपूर्ण हिस्से तथा मद सं0 4 में वर्णित भूमियों में से 1/2 हिस्से का पूर्व में खाता कब्जा, काश्त पक्षकारों के पूर्वज मंशा पुत्र नंदा के नाम से रहा है।जिनके स्वर्गवास के बाद विरासतन उक्त वर्णित भूमियां अप्रार्थी सं0 1 को प्राप्त हुई। इस प्रकार से वादग्रस्त भूमियां प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 4 की पैत्रिक कृषि भूमियां है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ता 4 अप्रार्थी सं0 1 के पुत्रगण है तथा जाति मीणा है, जो कि अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते है। अनुसूचित जनजाति की रूढी एंव प्रथाओं के अनुसार पिता के जीवनकाल में जन्म से ही पुत्र को पैतृक संपत्ति में उसी के समान हक अधिकार प्राप्त होता है। वादग्रस्त भूमियां अप्रार्थी सं0 1 को अपने पिता मंशा से विरासतन नामातकरण सं0 914 के द्वारा प्राप्त हुई इसलिए अप्रार्थी सं0 1 के जीवनकाल में ही जन्मजात रूप से प्रार्थी तथा अप्रार्थी 2 ता 4 को भी अप्रार्थी सं0 1 के समान ही हक, अधिकार प्राप्त हुए है। वादग्रस्त भूमियां पैतृक होने से आवेदन की मद सं0 3 में वर्णित भूमियों में से प्रार्थी एंव अप्रार्थी सं0 2 ता 4 प्रत्येक को भूमियों में से 1/5 हक हिस्से का तथा आवेदन की मद सं0 4 में वर्णित भूमियों में से 1/10 हक हिस्सा एंव कब्जा काश्त जन्मजात रूप से रहा है तथा प्रार्थी एंव अप्रार्थी सं0 2 ता 4 अपने पैतृक हक हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। भूमियों में से प्रार्थी अपने पैतृत हक हिस्से की उदघोषणा करवाने के अधिकारी है। इस हेतु वाद पेश करना लाजिमी हुआ है।<br>चूंकि प्रार्थी द्वारा वाद बाबत उदघोषणा का पेश किया गया है,जिसका अंतिम निस्तारण वाद के गुणावगुण व मेरिट के आधार पर होना है। प्रकरण में पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में बनना पाया जाता है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बाहुलता नहीं बढे तथा मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है। |

सहायक कलक्टर (मु.)
सीकर

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि ख0नं0 771,772,774 कुल किता 3 कुल रकबा 1.7700 है0 एंव ख0नं0 768, 769, 770, 773 कुल किता 4 कुल रकबा 1.9100 है0 ग्राम रामसिंहपुरा प0ह0 शिश्यू, तहसील दांतारामगढ़, सीकर में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर

Scanned with CamScanner